न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.) समक्ष राजस्व मंडल लिंक कोर्ट रीवा (म.प्र.)

रावेन्द्र तिवारी तनय स्व. श्री इन्द्रभान तिवारी उम्र 50 वर्ष पेशा वकालत निवासी मोहल्ला नरेन्द्रनगर दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर के पास अमहिया रीवा थाना सिविल लाइन रीवा तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) ....निगरानीकर्ता / आवेदक

बनाम्

1–श्री रामप्रसाद वर्मा तनय स्व. श्री सूर्यदीन वर्मा निवासी नरेन्द्रनगर रीवा तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.।

2–श्रीमती अनीता देवी पत्नी श्री रघुनंदन सिंह निवासी ग्राम खुटेही तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.।

3–श्रीमती रीना सोनी पत्नी श्री मनोज सोनी निवासी फोर्ट रोड रीवा तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.।

4–श्रीमती आशा सिंह पत्नी श्री अरूण प्रताप सिंह निवास नरेन्द्रनगर अमहिया रीवा तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

5–शासन म.प्र.।

..........................गैरनिगराकार / अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र. प्रकरण कं. 129/अ 6/10–11 निर्णय दिनांक 07.09.2012 निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ई.।

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

यह कि निगरानीकर्ता के स्वत्व अधिपत्य का पैतृक माकान भूमि खसरा नं. 435/1 तथा 436/2 रकबा 10 डिसमिल के अंश रकबा 0.004 हे. में बना है जो नरेन्द्रनगर अमहिया रीवा तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र. में स्थित है जिसे तहसीलदार साहब तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कं. 97/अ 6/1995–96 आदेश दिनांक 16.03.2000 भूमि खसरा नं. 435 का अंश रकबा 2000 वर्गफिट का नामांतरण गैरनिगरानीकर्ता कं. 2 श्रीमती अनीता देवी पत्नी श्री रघुनंदन सिंह निवासी ग्राम खुटेही तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र. के नाम निगरानीकर्ता को बगैर सूचना दिये हुए एकतरफा नामांतरण गैरनिगराकार कं. 2 के नाम कर दिया था जिसकी अपील गैरनिगराकार कं.

84

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 330/III/13 इंदौर [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06/6/19	इस प्रकरण में दिनांक 23/8/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी [illegible] के प्रकरण क्रमांक 129/अ-6/10-11 में पारित आदेश दिनांक 07/9/12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला इंदौर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/6/19 को कलेक्टर जिला इंदौर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 6/6/19 सदस्य	